राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक प.11(3)117/मो/मबावि/2000–2001/13110-446 जयपुर, दिनांक 25.2.2010

1. समस्त उपनिदेशक
   महिला एवं बाल विकास विभाग
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी

   ....

मूल पत्र ही प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका चयन हेतु मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद/विकास अधिकारी प.स. को ग्रामवार केन्द्रों की सूचियां उपलब्ध करवा कर ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करावें और नियत तिथि पर सम्बन्धित ग्राम सभा में विभागीय कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करावें। विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन की कार्यवाही करवा कर ग्राम स्तर पर ही चयनित महिला के पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन सुनिश्चित करें। किये गये चयन की सूचना निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करे। चयनित आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण संबंधी दिशा निर्देश निदेशालय द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान,जयपुर

IMPORTANT

राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

कमांक :–4(1)पंरावि / विधि / ग्राम सभा / 09 / 334   जयपुर,दिनांक: 24/2/2010

1:–संभागीय आयुक्त,
समस्त।
2:–जिला कलक्टर,समस्त।
3:–मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषयः–फरवरी 2010 के अन्तिम सप्ताह से मार्च 2010 के प्रथम सप्ताह में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने बाबत।

महोदय,

निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने अवगत कराया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2009–2010 की बजट घोषणा में 16 हजार 600 ऑगनबाडी कार्यकताओं की नियुक्ति की घोषणा की गई थी, जिनके चयन हेतु पंचायत राज अधिनियम की धारा 8ए के तहत वर्ष की अतिंम तिमाही में आयोजित होने वाली ग्राम सभा को अपने निर्धारित कार्यक्रमों के साथ साथ ऑगनबाडी कार्यकर्ताओं के चयन हेतु विशेष ग्राम सभा के रूप में आयोजित किया जावें। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जहाँ ऑगनबाडी केन्द्र खोले जाने है उन ग्रामों की पंचायत समितिवार सूची जारी की जा चुकी है।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:–

1:–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2:–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ।
3:–3 ति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त यह सुनिश्चित करे कि विकास अधिकारियों द्वारा विशेष ग्राम सभाओ की बैठक बुलाये जाने हेतु ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी कर दिये गये है ।

उप शासन सचिव (विधि)